

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक 03640 /
II-14-46/24

जबलपुर, दिनांक 02/05 /अप्रैल, 2024

कु. अनुश्री पाण्डेय, निजी सहायक उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ-इंदौर, को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 13 (ii) के अनुसार दिनांक 18.04.2024 से दिनांक 24.04.2024 तक 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया ।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय के
आदेशानुसार

सही/-
(यू.एस. दुबे)
ओ.एस.डी.-कम-पीपीएस

पृष्ठांकन क्रमांक 3641 /
II-14-46/24

जबलपुर, दिनांक 02/05 /अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रं.अवकाश 821 इंदौर दिनांक 02.04.2024 के संदर्भ में कु. अनुश्री पाण्डेय, निजी सहायक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ-इंदौर का निर्धारित प्रपत्र की छायाप्रति को वापस करने हेए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें ।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।
2. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे.),लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. सहायक अवकाश/स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर

US Dubey
(यू.एस. दुबे) 11/5/2024
ओ.एस.डी.-कम-पीपीएस